प्रेस विज्ञप्ति

21-08-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने अजय तिड़के और अन्य से संबंधित दोहरे धन घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बैंक खातों, जीवन बीमा पॉलिसियों और म्यूचुअल फंड के रूप में **26 चल संपत्तियों (जिनका मूल्य 1.49 करोड़ रुपये है)** को 20/08/2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने बालाघाट जिले (मध्य प्रदेश) के दो पुलिस थानों में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध (बीयूडीएस) अधिनियम, 2019 और तत्कालीन आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, पुलिस द्वारा कई व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए गए।

ईडी की जाँच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने भोले-भाले लोगों को बहकाया और बहुत ही कम समय में उनका पैसा दोगुना करने के नाम पर उनकी जमा राशि ले ली और आश्वासन के बदले में, , उन्हें वादा की गई परिपक्वता राशि के पोस्ट-डेटेड चेक कभी-कभी दे देते थे। हालाँकि, उन्होंने धोखाधड़ी की और वादा की गई राशि जमाकर्ताओं को वापस नहीं की। पीएमएलए के तहत जाँच के दौरान, यह पता चला कि आरोपी व्यक्ति निवेशकों से नकद के रूप में या सीधे अपने स्वामित्व वाली कंपनियों के बैंक खातों में पैसा जमा करते थे। इस धन (अपराध की आय) का उपयोग अचल और चल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया जाता था, जिन्हें आरोपियों ने अपने नाम पर और अपने परिवार के सदस्यों या एजेंटों के नाम पर अर्जित किया था जो उनके लिए काम करते थे। इससे पहले भी, ईडी ने इसी मामले में 06/06/2025 को **2.98 करोड़ रुपये** की 25 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।